



कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक-3006/12-1, दिनांक: मसूरी, 17/01/2020।

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,

पी0एम0जी0एस0वाई0, सिवाई खण्ड -2,

नई, टिहरी।

विषय:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में रायपुर-कुमाल्डा-कदूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 15 से रगड़गांव मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-15.675 किमी0) के निर्माण हेतु 9.887 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0, सिवाई खण्ड को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(उत्तर-केन्द्रीय), देहरादून की पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/98/2019/एफ0सी0/2112, दिनांक 06-01-2020, एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं0 1709/FP/UK/ROAD/22084/2016, दिनांक 15 जनवरी, 2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का उक्त सन्दर्भित पत्र (प्रति संलग्न) जो आपको सम्बोधित तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित है का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(उत्तर-केन्द्रीय), देहरादून के द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तें सं0 1, 2, 3 तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के उक्त सन्दर्भित के द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निर्धारित देय धनराशियों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल(है0 में)/पौघ	दर	देय धनराशि
1.	प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले ग्राम रगड़गांव अवनत सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव।	19.774 है0	3,06,531.00/है0	60,61,344.00
2.	एन0पी0वी0	कुल 9.8875 है0	845000.00/है0	83,54,515.00
योग:- (एक करोड़ चवालीस लाख पंद्रह हजार आठ सौ उनसठ) रुपये मात्र				1,44,15,859.00

अतः उक्तानुसार आनलाईन चालान जनरेट कर देय धनराशि / धनराशियों के भुगतान हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या 1, 2 व 3 तथा अन्य शर्तों 4, 5 6 एवं 7 की बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के parivesh.nic.in पर user account में जाकर stage II clearance में पहले Mutation की detail (यदि लागू हों) भरकर एवं समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या online एवं आफलाईन तीन हार्ड प्रतियों में मय संलग्नकों के संगत दस्तावेजों / अनुपालन आख्या अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- उक्तानुसार।

3006
पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि - निम्न को उक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में सादर प्रेषित।

- 1 अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2 वन संरक्षक, यमुना वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3 जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

भवदीय

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।